



पत्रांक-कु0स0-2 B स0अ0/163 ने 01-1623-2025/2025

दिनांक: 06 मई, 2025

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्वामी अतुलानन्द हिन्दू महाविद्यालय,
परमानन्दपुर, शिवपुर,
वाराणसी

विषय: महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, हिन्दी, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अस्थायी सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव दिनांक-17.03.2025 के सन्दर्भ में सूचित है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-975/79-1-14-1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तर्गत/निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-2527/सत्तर-2-2008-2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 06.05.2025 की संस्तुति एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वामी अतुलानन्द हिन्दू महाविद्यालय, परमानन्दपुर, शिवपुर, वाराणसी को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, हिन्दी, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता (अस्थायी) के लिए प्राप्त प्रस्ताव के सम्यक परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव में इंगित कमियों यथा- संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदनोपरान्त कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन भुगतान की कार्यवाही शेष होने के दृष्टिगत उक्त पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2025 से आगामी तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता (अस्थायी) की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय उपर्युक्त इंगित कमियों के निराकरण के साथ एक माह की अवधि में संदर्भित विषयों हेतु कक्षा संचालन की अनुमति की कार्यवाही सुनिश्चित कर कक्षा संचालन का प्रमाण अवश्य प्रस्तुत करेगा।
2. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है। जिसका प्रमाण विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका सं0-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के साथ ही शासनादेश सं0-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13.03.2020 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

7. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेख भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
8. सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किये जाने, मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने एवं अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा-37(6), 37 (7) तथा 37 (8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगे:-

- 37(6) :- कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।
- 37(7) :- कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।
- 37(8) :- कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबंधन से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिणियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

10. महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा कमियों की पूर्णता के साथ ही महाविद्यालय में संचालित विषयों/पाठ्यक्रम के सापेक्ष उपलब्ध भवन एन0बी0सी0 कोड-2005 के अनुरूप होने का प्रमाण एवं अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र व शर्तों के अनुपालन के सन्दर्भ में रु0 100/- का शपथ पत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यह अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
11. उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की स्थिति में आगामी सत्र में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

भवदीय,


कुलसचिव


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

- 1- वैयक्तिक सहायक कुलपति-मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
- 2- विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से कि उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किये जाने के उपरान्त ही परीक्षा से सम्बंधित कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- उप कुलसचिव-परीक्षा।
- 5- सहायक कुलसचिव(समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करें।
- 6- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।


कुलसचिव



दिनांक: ०६ मई, 2025

पत्रांक-कु0स0-2 B स0अ0/७३२१/01-1623-2025/2025

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्वामी अतुलानन्द हिन्दू महाविद्यालय,
परमानन्दपुर, शिवपुर,
वाराणसी

विषय: महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, हिन्दी, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अस्थायी सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव दिनांक-17.03.2025 के सन्दर्भ में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-975/79-1-14-1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तरित/निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-2527/सत्तर-2-2008-2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 06.05.2025 की संस्तुति एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वामी अतुलानन्द हिन्दू महाविद्यालय, परमानन्दपुर, शिवपुर, वाराणसी को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, हिन्दी, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता (अस्थायी) के लिए प्राप्त प्रस्ताव के सम्यक परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव में इंगित कमियों यथा- संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदनोपरान्त कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन भुगतान की कार्यवाही शेष होने के दृष्टिगत उक्त पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2025 से आगामी तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता (अस्थायी) की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय उपर्युक्त इंगित कमियों के निराकरण के साथ एक माह की अवधि में संदर्भित विषयों हेतु कक्षा संचालन की अनुमति की कार्यवाही सुनिश्चित कर कक्षा संचालन का प्रमाण अवश्य प्रस्तुत करेगा।
2. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है। जिसका प्रमाण विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका सं0-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के साथ ही शासनादेश सं0-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13.03.2020 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

7. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेख भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
8. सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किये जाने, मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने एवं अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा-37(6), 37 (7) तथा 37 (8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगे:-

37(6) :-कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

37(7) :-कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

37(8) :-कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबंधन से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिणियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

10. महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा कमियों की पूर्णता के साथ ही महाविद्यालय में संचालित विषयों/पाठ्यक्रम के सापेक्ष उपलब्ध भवन एन०बी०सी० कोड-2005 के अनुरूप होने का प्रमाण एवं अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र व शर्तों के अनुपालन के सन्दर्भ में रु० 100/- का शपथ पत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यह अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
11. उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की स्थिति में आगामी सत्र में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

- 1- वैयक्तिक सहायक कुलपति-मा० कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
- 2- विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से कि उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किये जाने के उपरान्त ही परीक्षा से सम्बंधित कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- उप कुलसचिव-परीक्षा।
- 5- सहायक कुलसचिव(समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करें।
- 6- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।


कुलसचिव